परिशिष्ठ–11

भामाशाह नामांकन शिविरों के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की प्रकिया

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम–2013 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम–2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष मार्च माह में लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन का प्रावधान है।

भामाशाह नामांकन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन हेतु चाही गयी सूचनाओं में समानता को ध्यान में रखते हुये लाभार्थियों के प्रभावी भौतिक सत्यापन हेतु जिला प्रशासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:–

1. शिविर में पेंशन से संबंधित सूचना का सत्यापनकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवक तथा शहरी क्षेत्र में पटवारी होगा।
2. सत्यापक द्वारा पेंशनधारक की आयु का सत्यापन दस्तावेजों के आधार पर किया जावेगा।
3. पेंशनधारक की वार्षिक आय के आधार पर सत्यापक द्वारा पात्रता की जांच की जायेगी।
4. विधवा/तलाकशुदा एवं परित्यक्ता पेंशन प्रकरणों में लाभार्थी के पुनर्विवाह की स्थिति आवश्यक रूप से जांच की जावे। परित्यक्ता के प्रकरण में इस वर्ष के नवीनतम प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापन किया जावे।
5. पेंशनधारक के स्वयं, पत्नि/पति या पुत्र के राजकीय सेवा/राजकीय उपक्रम में सेवारत नहीं होने या राजकीय पेंशनर नहीं होने की भी जांच की जावें।
6. सत्यापक द्वारा शिविर में सत्यापित किये गये सभी पेंशनधारियों की सूची संलग्न प्रपत्र–अ में तैयार की जावेगी। शिविर प्रभारी द्वारा वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की ग्रामवार/ग्राम पंचायतवार/शहरी वार्डवार विभागीय वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर उपलब्ध सूची का प्रिन्ट लिया जा सकता है।
7. पेंशनधारी की मृत्यु या अन्य किन्हीं कारणों से पेंशन के अपात्र पाये जाने वाले प्रकरणों में सत्यापक द्वारा संलग्न प्रारूप–ब में अपनी रिपोर्ट मय सील, पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (शहरी क्षेत्र हेतु उपखण्ड अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु विकास अधिकारी) को प्रस्तुत करेंगे, जिस पर संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा यथोचित आदेश प्रदान किया जावेगा।
8. सत्यापक की रिपोर्ट हेतु संलग्न प्रपत्रों की फोटो प्रतियां शिविर प्रभारी द्वारा आवश्यकतानुसार शिविर आयोजन से पूर्व करवा ली जावे।

9. शिविर समाप्ति उपरान्त सत्यापक द्वारा सत्यापित किये गये पेंशनधारियों की सूचना निम्न प्रारूप में संबंधित उप खण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को प्रेषित की जावेगी, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा इकजाई कर 7 दिवस में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित किया जावेगा।

भामाशाह नामांकन शिविर के दौरान प्राप्त की गई सूचनाओं / दस्तावेजों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के भौतिक सत्यापन का गोशवारा

जिले का नाम................ शिविर दिनांक ....से.........तक

पंचायत समिति / शहरी निकाय का नाम	ग्राम पंचायत / शहरी वार्ड संख्या	क्षेत्र में कुल पेंशनधारी	शिविर में सत्यापित पेंशनधारी			सत्यापन से शेष रहे पेंशनधारी (3-6)
			पात्र	अपात्र	कुल (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7